कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 137/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 17/2020

प्रेस नोट

दिनांक 16-09-2020 को थाना चोलापुर के उ0नि0 अजय कुमार चौकी प्रभारी दानगंज द्वारा मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मु0अ0सं0 374/20 धारा 379 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण भूषण राम पुत्र वीरेन्द्र राम निवासी धरसौना थाना चोलापुर वाराणसी, सुल्तान अली पुत्र इकबाल निवासी चोलापुर थाना चोलापुर वाराणसी व मनीष हरिजन पुत्र छविनाथ निवासी गड़सरा थाना चोलापुर वाराणसी को समय 23.00 बजे बलरामगंज तिराहा से गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से 01 अदद तमंचा.315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस.315 बोर व चोरी हुआ बकरा बरामद हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि दिनांक 14.09.2020 को एक व्यक्ति ग्राम रमदतहा में अपने बकरे को चरा रहा था, हम तीनो लोग बकरा बेचने की बात पूछने के लिये गये तो उक्त व्यक्ति द्वारा बकरा बेचने से मना कर दिया गया । हम लोग मौका पाकर बकरे को चुराकर मोटरसाइकिल से भाग गये। हम लोगों द्वारा दिनांक 7/8.07.2020 की रात्रि को पलहीपट्टी चोलापुर से सोलर पैनल चुराया गया था जिसको बेचने पर 500 रूपये मिला था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. भूषण राम पुत्र वीरेन्द्र राम नि0 धरसौना थाना चोलापुर वाराणसी 20 वर्ष
2. सुल्तान अली पुत्र इकबाल नि0 चोलापुर थाना चोलापुर वाराणसी 21 वर्ष
3. मनीष हरिजन पुत्र छविनाथ नि0 गडसरा थाना चोलापुर 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- एक बकरा (मु0अ0सं0 374/20 धारा 379 भा0द0वि0 से सम्बन्धित)
- नगद 500/- रूपये (मु0अ0सं0 245/2020 धारा 379 भा0द0वि0 से सम्बन्धित)
- एक अदद तमंचा.315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस.315 बोर अभियुक्त सुल्तान अली के कब्जे से (मु0अ0सं0-375/2020 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 अजय कुमार यादव चौकी प्रभारी दानगंज, उ0नि0 दुर्गेश यादव चौकी प्रभारी अजगरा, मु0आ0 रामप्रताप सिंह, मु0आ0 विश्राम यादव, का0कौशल सिंह थाना चोलापुर वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 138/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 17/2020

प्रेस नोट

अभियुक्त मकबूल हसन पुत्र अब्दुल रशीद निवासी एस-9/348ए नई बस्ती पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा प्राप्त 83 द0प्र0सं0 के आदेश के अनुपालन में कुर्की की कार्यवाही की गयी

आज दिनांक 17.09.2020 को थाना कैण्ट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1061/2017 धारा 376/377/498ए/504/506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के अभियुक्त मकबुल हसन पुत्र अब्दुल रशीद निवासी एस-9/348ए नई बस्ती पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी जो घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहा है। जिसकी गिरफ्तारी हेतु हर सम्भव प्रयास किये जाने के बाद भी गिरफ्तार न हो पाने की दशा में गैर जमानती वारण्ट, दिनांक 30.05.2020 को 82 द0प्र0सं0 का आदेश तथा दिनांक 11.09.2020 को 83 द0प्र0सं0 का आदेश प्राप्त किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 17.09.2020 को अभियुक्त मकबूल हसन उपरोक्त के मकान पर जाकर कुर्की की कार्यवाही की गयी तथा बरामद समानों को पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रभारी निरीक्षक

सोशल मीडिया सेल

जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 139/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 17/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 17-09-2020 को उ0नि0 सौरभ पाण्डेय चौकी प्रभारी दालमण्डी मय हमराह पुलिस बल के दालमण्डी क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि एक व्यक्ति पुलिस बल को देखकर भागने लगा, जिसे संदेह होने पर घेराबन्दी कर समय 02.30 बजे सेवा सदन गली मे चाय की दुकान के पास पकड़ लिया गया, जिसकी तलाशी ली गयी तो उसके पास से 02 अदद नाजायज जिन्दा कारतूस.315 बोर बरामद हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चौक पुलिस द्वारा अभियुक्त आजाद खान को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- आजाद खान पुत्र इम्तियाज खान निवासी पड़ाव सूजाबाद थाना रामनगर जनपद वाराणसी उम्र 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अदद नाजायज जिन्दा कारतूस.315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 सौरभ पाण्डेय- चौकी प्रभारी दालमण्डी, उ0नि0 स्वंतन्त्र सिंह, का0 संग्राम सिंह यादव व का0 संदीप सिंह थाना चौक जनपद वाराणसी ।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 140/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 17/2020

प्रेस नोट

दिनांक 28-08-2020 को जैतपुरा थानान्तर्गत चौकाघाट में हुए दोहरे हत्याकाण्ड में शामिल तीन अभियुक्त थाना जैतपुरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 अदद मोबाईल फोन, 01 अदद मोटरसाइकिल व रु03600/- नकद बरामद।

दिनांक 28.08.2020 को चौकाघाट दोहरे हत्याकाण्ड में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/पुलिस अधीक्षक अपराध के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी चेतगंज के कुशल नेतृत्व में गठित क्राइम ब्रान्च व थाना जैतपुरा की संयुक्त टीम द्वारा उक्त सनसनीखेज घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु धरातलीय अभिसूचना के क्रम में मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल तीन अभियुक्तों प्रभाकर उपाध्याय , शाश्वत सिंह उर्फ गोलू व नवीन सिंह को गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 17.09.2020 को प्र0नि0 जैतपुरा शशिभूषण राय मय टीम व प्रभारी क्राइम ब्रान्च अश्वनी पाण्डेय मय टीम दिनांक 28.09.2020 को चौकाघाट दोहरे हत्याकाण्ड में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कचहरी चौराहे पर आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि चौकाघाट दोहरे हत्याकाण्ड में शामिल तीन बदमाश एचएफ डीलक्स बाइक नं. UP 62 AK 1005 से गिलट बाजार तिराहा होते हुए कहीं भागने की फिराक में हैं। मुखबिर द्वारा मिली सूचना पर विश्वास कर उक्त टीम गिलट बाजार तिराहे पर पहुंची तो तरना की तरफ से एचएफ डीलक्स बाइक नं. UP 62 AK 1005 पर तीन व्यक्ति बैठकर आते हुए दिखाई दिये, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो भागने लगे जिन्हें आवश्यक बल प्रयोग करते हुए पकड लिया गया। पूछने पर तीनों ने अपना नाम प्रभाकर उपाध्याय, शाश्वत सिंह उर्फ गोलू व नवीन सिंह बताया।

विवरण पूछताछ–

पूछताछ के क्रम में अभियुक्त प्रभाकर उपाध्याय, शाश्वत सिंह उर्फ गोलू व नवीन सिंह द्वारा बताया गया कि विवेक सिंह कट्टा की अभिषेक सिंह प्रिन्स से पुरानी दुश्मनी थी जिसको मारने के लिये दिनांक 21.08.2020 को प्रभाकर उपाध्याय के गाँव के ट्यूबवेल पर योजना बनायी गयी, जिसमें विवेक सिंह कट्टा, रवि प्रकाश सिंह, विजेन्द्र सिंह, हेमन्त सिंह, अतुल विश्वकर्मा, शाश्वत सिंह, नवीन सिंह और एक शूटर शामिल थे। योजनानुसार हम लोग गणेशपुर तरना शिवपुर स्थित एक फ्लैट पर इकट्ठा हुए और घटना

वाले दिन अतुल विश्वकर्मा अपाचे बाइक से, विजेन्द्र सिंह बब्बू सुपर स्प्लेण्डर बाइक से और विवेक सिंह कट्टा, हेमन्त सिंह, रविप्रताप सिंह और शूटर रवि की स्विफ्ट गाड़ी से निकले। मकबूल आलम रोड पर रुककर अभिषेक के घर से निकलने का इन्तजार किया गया। जब अभिषेक सिंह अपने साथी के साथ बाइक से मकबूल आलम रोड पर आ गया तो उसका पीछा किया गया। रास्ते में शूटर स्विफ्ट से उतरकर विजेन्द्र सिंह बब्बू की गाड़ी पर बैठ गया और चौकाघाट काली मन्दिर के पास मौका पाकर शूटर द्वारा अभिषेक सिंह प्रिन्स को गोली मार दी गयी, जिसमें उसके साथी व एक राहगीर को भी गोली लग गयी। घटना के बाद हम लोगों द्वारा विवेक सिंह कट्टा, रवि प्रकाश सिंह, विजेन्द्र सिंह, हेमन्त सिंह, अतुल विश्वकर्मा, शूटर के भागने, छुपाने में आर्थिक मदद की गयी और विवेक सिंह कट्टा को न्यायालय में हाजिर कराने में भी सहयोग किया गया। आज हम लोग छुपने के लिये बिहार जा रहे थे कि आप लोगों को देखकर डर कर भागने लगे लेकिन आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण–

1. प्रभाकर उपाध्याय पुत्र जटाशंकर उपाध्याय निवासी सलेमपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर
2. नवीन सिंह उर्फ आयुष सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी एस ए -7/16के बेनीपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी।
3. शाश्वत सिंह उर्फ गोलू पुत्र राम प्रकाश सिंह निवासी परसाईपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर

वांछित अभियुक्तगण–

1. रवि प्रकाश सिंह पुत्र अवधेश सिंह निवासी जियासड़ थाना मेहनगर जनपद आजमगढ हालपता – अशोक बिहार कालोनी थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी।(ईनामिया -25000/रु.)
2. हेमन्त सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी सेमरी थाना बडागाँव जनपद वाराणसी। (ईनामिया -25000/रु.)
3. अतुल विश्वकर्मा पुत्र समरबहादुर निवासी कुद्दूपुर थाना लाइनबाजार जनपद जौनपुर। (ईनामिया -25000/रु.)
4. विजेन्द्र सिंह उर्फ बब्बू पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी पहाड़ीपट्टी थाना केराकत जनपद जौनपुर। (ईनामिया -25000/रु.)

आपराधिक इतिहास-

प्रभाकर उपाध्याय पुत्र जटाशंकर उपाध्याय निवासी सलेमपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर

1. मु.अ.स. 112/19 धारा 504/506 भादवि 3(1)sc/st एक्ट थाना जलालपुर जनपद जौनपुर
2. मु.अ.स. 145/20 धारा 147/148/149/302/307/120बी/216ए भादवि थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी।

नवीन सिंह उर्फ आयुष सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी एस ए -7/16के बेनीपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी।

1. मु.अ.स. 145/20 धारा 147/148/149/302/307/120बी/216ए भादवि थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी।

शाश्वत सिंह उर्फ गोलू पुत्र राम प्रकाश सिंह निवासी परसाईपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर

1. मु.अ.स. 342/19 धारा 147/148/149/308/323/504/506 भादवि थाना जलालपुर जनपद जौनपुर।

2. मु.अ.स. 145/20 धारा 147/148/149/302/307/120बी/216ए भादवि थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी।

बरामदगी का विवरण–

1. तीन अदद मोबाइल फोन।
2. एक अदद एचएफ डीलक्स बाइक नं. UP 62 AK 1005।
3. 3600/ रु. नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक जैतपुरा शशि भूषण राय, उ0नि0 अश्वनी पाण्डेय- प्रभारी क्राइमब्रान्च, उ0नि0 अरुण प्रताप सिंह क्राइम ब्रान्च, हे0का0 विजेन्द्र चौधरी व का0 गणेश राय थाना जैतपुरा वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 141/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 17/2020

प्रेस नोट

थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा गश्त के दौरान अवैध रुप से रिफिलिंग में प्रयोग किये जा रहे, 03 अदद कामर्शियल सिलेन्डर, 37 अदद घरेलू सिलेन्डर, 01 अदद तौल मशीन, 01 अदद गैस रिफिलिंग मशीन बरामद

आज दिनांक 17-09-2020 को थाना शिवपुर के उ0नि0 चन्द्रदीप कुमार चौकी प्रभारी चॉदमारी द्वारा मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र/गश्त के दौरान दशमी के बगीचा के पास मीरापुर बसही में उमा पटेल के खेत की बाऊंडरी के अन्दर समय करीब 09.50 बजे 02 व्यक्ति घरेलू गैस सिलेन्डर की अवैध रिफिलिंग कर रहे थे जो हम पुलिस वालो को देखकर भाग गये। मौके पर एक टैम्पो वाहन संख्या यूपी-65 जे0टी-5685, 03 अदद कामर्शियल सिलेन्डर, 37 अदद घरेलू सिलेन्डर, 01 अदद तौल मशीन, 01 अदद गैस रिफिलिंग मशीन तथा मनोज साहनी लिखा अभय गैस एजेन्सी द्वारा जारी परिचय पत्र बरामद हुआ। समस्त बरामद माल को चौकी चांदमारी पर लाया गया तथा जिला आपूर्ति अधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

01. 03 अदद कामर्शियल सिलेन्डर

02. 37 अदद घरेलू सिलेन्डर

03. एक अदद तौल मशीन

04. 01 अदद गैस रिफिलिंग मशीन

***पुलिस टीम का विवरण:*-**

01. उ0नि0 श्री चन्द्रदीप कुमार चौकी प्रभारी चांदमारी, का0 चन्दन सिंह, का0 विनोद सिंह व का0 संजय सिंह थाना शिवपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 142/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 17/2020

प्रेस नोट

थाना सिन्धौरा पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट का शातिर अपराधी संतोष पाण्डेय गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक सिन्धौरा रमेश यादव मय हमराह के देखभाल क्षेत्र, तलाश वाछिंत अभियुक्तगण के दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मु0अ0सं0 267/2020 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट का सम्बन्धित अभियुक्त सन्तोष पाण्डेय पुत्र स्व0 रामआधार पाण्डेय ग्रा0 सरायबेना थाना- फूलपुर, जनपद वाराणसी घर पर मौजूद है अगर जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्ववास कर प्रभारी निरीक्षक द्वारा मय हमराह के ग्राम सरायबेना में अभियुक्त उपरोक्त के घर पर दबिश देकर अभियुक्त सन्तोष पाण्डेय उपरोक्त को उसके घर से समय करीब 19.55 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना फूलपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- सन्तोष पाण्डेय पुत्र स्व0 रामआधार पाण्डेय ग्रा0 सरायबेना थाना-फूलपुर,जनपद वाराणसी उम्र करीब 50 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 316/2018 धारा 419/420/504/506 भादवि0 थाना-फूलपुर, वाराणसी
2. मु0अ0सं0 532/18 धारा 419/420/467/468/471/120 भा0द0वि0,थाना-फूलपुर, वाराणसी
3. मु0अ0सं0 301/2017 धारा 504/506 भा0द0वि0 थाना फूलपुर जनपद-वाराणसी
4. मु0अ0सं0 267/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना-फूलपुर, वाराणसी

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

5. प्रभारी निरीक्षक रमेश यादव, उ0नि0 सुरेन्द्र शुक्ला, हे0का0 उमाकान्त चौबे, का0 अर्जुन सरोज, का0 अरविन्द यादव थाना सिन्धौरा जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 143/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 17/2020

प्रेस नोट

दिनांक 17/08/2020 को श्री सुनील कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह निवासी डी0-47/82-83 रामापुरा थाना लक्सा वाराणसी उम्र करीब 52 वर्ष की पहडिया चौराहा से गुम हो जाने के सम्बन्ध में गुमशुदगी थाना लक्सा में अंकित की गयी थी। उक्त गुमशुदगी के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा दिये गये आदेश निर्देश के क्रम में उ0नि0 धर्मवीर द्वारा गुमशुदगी की जाँच के क्रम में पतारसी सुरागरसी व सर्विलांस के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर आज दिनांक 17-09-2020 को गुमशुदा सुनील कुमार सिंह उर्फ गुड्डू को रामापुरा से सकुशल बरामद किया गया। गुमशुदा सुनील सिंह से क्षेत्राधिकारी दशाश्वमेध व प्रभारी निरीक्षक लक्सा व जाँचकर्ता उ0नि0 धर्मवीर द्वारा पूछताछ करने पर सुनील सिंह ने बताया कि मैं अपनी मर्जी से दिनांक 17.08.2020 को बिना किसी को बताये अपने परिवार से व्यथित होकर अपनी बुआ के घर सैदपुर जनपद गाजीपुर चला गया था तथा मेरे साथ किसी प्रकार का आपराधिक कृत्य नही हुआ हैं। पूछताछ के उपरान्त श्री सुनील कुमार सिंह को सूचनाकर्ता श्रीमती रेनू सिंह पत्नी सुनील कुमार सिंह उर्फ गुड्डु सिंह निवासी डी 47/82,83 रामापुरा थाना लक्सा वाराणसी को थाना लक्सा बुलाकर उनके सुपुर्द किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 144/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 17/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 17-09-2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में कानून/शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु लहुराबीर चौराहा से थाना चेतगंज तक पैदल मार्च किया गया तथा थाना चेतगंज का निरीक्षण कर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 145/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 17/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 17-09-2020 को सायंकाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा जनपद में कानून/शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दशाश्वमेध क्षेत्र में पैदल मार्च करते हुए सर्राफा व्यापारियों से वार्ता कर सुरक्षा व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी तथा सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 146/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 17/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरुरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 17-09-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 94 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *269 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 2378 वाहनों का चालान, 30 वाहनों को सीज तथा 251 वाहनों से रु0-2,07,500/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 17-09-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1772 व्यक्तियों से रु0-80,000/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।